

दोनों पक्षों (दाहिने व प्रतिकारिणी)

में कोई विवाद नहीं रहता है



कै. प्र.
मु. प्र. १२७

इसलिए प्रकरण को अगे-वारा
करे-चाहते हैं। इसलिए आपल (पु. प्र.)



कै. प्र.
मु. प्र. १२७

विशेष करके वे दोनों पक्षों ने सजीवता
करना व विशेष करना स्वीकार करते

हैं इसलिए वादिका का काद अर्थात्

सजीवता विशेष सिद्ध जाता है। सिद्ध

होना मुकाम लेकर दाहिने वारा है

इसी प्रकार जमी है। निरर्थक है अतः
काद सजीवता के अभाव में सिद्धता



S. D. M